संख्या-193/2026/1018/69-1-2026-2049419

प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-बस्ती, अयोध्या, हाथरस एवं मऊ की कुल 25 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5537/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21, दिनांक 13.03.2026, पत्र संख्या-5673/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2025-26, दिनांक 19.03.2026, पत्र संख्या-5822/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20वाल्यूम-2, दिनांक 26.03.2026, एवं पत्र संख्या-5752/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2025-26, दिनांक 24.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ **है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत क्रमंशः वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश दिनांक 11.03.2025 **द्वारा जनपद-बस्ती** की 11 परियोजना हेतु रू0 307.400 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 153.700 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 153.3783 लाख (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख सैंतीस हजार आठ सौ तीस मात्र), वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश दिनांक 28.03.2025 **द्वारा जनपद-अयोध्या** की 01 परियोजना हेतु रू0 34.480 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत अर्थात रू0 8.620 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 25.130 लाख (रूपये पच्चीस लाख तेरह हजार मात्र), वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश दिनांक 18.01.2024 **द्वारा जनपद-हाथरस** की 09 परियोजना हेतु रू0 112.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 84.3310 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में

अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 23.6290 लाख (रूपये तेईस लाख बासठ हजार नौ सौ मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश दिनांक 29.03.2025 **द्वारा जनपद-मऊ** की 04 परियोजना हेतु रू0 110.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 55.245 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 55.125 लाख (रूपये पचपन लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) कुल रू. 257.2623 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख छब्बीस हजार दो सौ तीस मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/ कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेन्टेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्ती	न0पं0 भानपुर	राजेन्द्र पाण्डेय के घर से पोखरा पिच तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	47.210	47.1959	23.605	23.5909
2	बस्ती	न0पं0 नगर बाजार	वार्ड नं0 13 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर टेमा पिच मार्ग से वार्ड नं0 11 सम्पर्क मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	23.090	23.0553	11.545	11.5103
3	बस्ती	न0पं0 नगर बाजार	वार्ड नं0 11 रेहार सम्पर्क मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	29.370	29.3261	14.685	14.6411
4	बस्ती	न0पं0 भानपुर	सेनहा में डाक बंगले से वर्मा जी के घर के आगत तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	21.530	21.5235	10.765	10.7585
5	बस्ती	न0पं0 भानपुर	कमलेश सिंह के घर से कन्या इण्टर कालेज तक सीसी रोड निर्माण का	25.730	25.6914	12.865	12.8264

			कार्य ।				
6	बस्ती	न0पं0 भानपुर	भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग से सार्थक पब्लिक स्कूल तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	19.240	19.2112	9.620	9.5912
7	बस्ती	न0पं0 कप्तानगंज	वार्ड नं0 09 गौतमबुद्ध नगर में सूर्य प्रकाश पाण्डेय के मकान से राम लगन के घर होते हुए आशा राम के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	37.510	37.4912	18.755	18.7362
8	बस्ती	न0पं0 कप्तानगंज	वार्ड नं0 09 गौतमबुद्ध नगर में पिच मार्ग से चन्द्र मोहन के घर होते हुये सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	25.180	25.1674	12.590	12.5774
9	बस्ती	न0पं0 कप्तानगंज	वार्ड नं0 09 गौतमबुद्ध नगर में अनिल के घर से गिरजाशंकर के घर होते हुए विजय कुमार के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य ।	23.730	23.7183	11.865	11.8533
10	बस्ती	न0पं0 बभनान	वार्ड नं0 05 लोहिया नगर यादव पुरवा में किशोरे के प्लाट से दीप चन्द्र गुप्ता के मकान होते हुये काली माता मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	30.960	30.8981	15.480	15.4181
11	बस्ती	न0पं0 बभनान	वार्ड नं0 05 लोहिया नगर यादव पुरवा में केशरी प्रसाद पाण्डेय के चक से किशोरे यादव के प्लाट तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	23.850	23.7999	11.925	11.8749
			योग	307.40	307.0783	153.70	153.3783
1	अयोध्या	न0नि0 अयोध्या	सरदार पटेल वार्ड में निरंकारपुर के पास रामकुमार पांडे के घर से राधेश्याम तिवारी बुद्धि सागर उपाध्याय, ज्ञान चतुर्वेदी, असम कुमार वर्मा के घर होते हुए शैलेन्द्र कुमार गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सडक नाली एवं पथ प्रकाश का कार्य।	34.480	33.75	8.620	25.130
			योग	34.480	33.75	8.620	25.130

1	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-15, ओढपुरा में राजेन्द्र के मकान से चन्द्रभान के मकान तक एवं सुरेश मिस्त्री के मकान से राजवीर भूस वालों के घर तक मिट्टी भराव रिटेनिंग दीवाल, नाली, सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	20.98	20.12	15.735	4.385
2	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-15, ओढपुरा में नेकसे राम के 2 मकान से लालावती बाल्मीकि के मकान तक मिट्टी भराव रिटेनिंग दीवाल, नाली, सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.16	3.98	3.12	0.86
3	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-15, नगला तुन्दला में गुलाब सिंह के मकान से अनीश मुल्ला जी के मकान तक मिट्टी भराव, नाली, सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	6.5	6.26	4.875	1.385
4	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-15, नगला तुन्दला में किशनलाल के मकान से अमरजीत के मकान तक मिट्टी भराव, नाली, सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	6.89	6.6	5.1675	1.4325
5	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-14, लाला का नगला हाथरस में श्री रमेश मिस्त्री के मकान से श्री महीलाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	7.68	7.38	5.76	1.62
6	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-15, ओढपुरा हाथरस मं श्री रोहताश के मकान से राजेन्द्र के मकान तक एवं प्रभु लक्ष्मी के मकान से दिलशाद के मकान तक एवं लिंक गली में ज्ञान सिंह के मकान तक मिट्टी भराव, नाली, इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	20.39	19.56	15.293	4.267
7	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-21, श्रीनगर के रवेन्द्र के मकान से चाद के मकान तक मिट्टी भराव, नाली, सी.सी. इण्टरलॉकिंग	4.67	4.47	3.5025	0.9675

			निर्माण कार्य।				
8	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं.-14, लाला का नगला हाथरस में श्री अख्तर के मकान से श्री पप्पी के प्लाट तक एवं लिंक गली में श्री शकील के मकान से श्री यामीन के मकान तक मिट्टी भराव रिटेनिंग दीवाल, नाली, सी.सी. इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	23.33	22.48	17.498	4.982
9	हाथरस	न0पा0प0 हाथरस	वार्ड सं0-15 ओढपुरा में श्री देवीराम के मकान से श्री राम निवास के मकान तक एवं लिंक गली में श्री सतीश के मकान से श्री राजकुमार के मकान तक मिट्टी भराव रिटेनिंग दीवाल, नाली, सी.सी. इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	17.84	17.11	13.38	3.73
			योग	112.44	107.96	84.331	23.629
1	मऊ	न0पा0प0 मऊनाथ भंजन	वार्ड नं0-08, मु० ताजोपुर में पी०जी०टी० पब्लिक स्कूल से किन्नुपुर रेलवे फाटक देवराज राजभर के मकान तक नाली पटिया व इण्टरलॉकिं ग निर्माण कार्य।	31.59	31.56	15.795	15.765
2	मऊ	न0पा0प0 मऊनाथ भंजन	वार्ड नं0-11, मु० ख्याजाजहांपुर भूजौटी में हरिजन बस्ती में पिच रोड परमहंश के मकान से रमेश राम के मकान होते हुए रामजनम राम व लाल जी मास्टर के मकान तक नाली पटिया व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	15.08	15.07	7.54	7.53
3	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं0-10, पांती शिव मंदिर से लाल बाबू के घर होते हुए भेलऊर सीवान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	26.83	26.8	13.415	13.385
4	मऊ	न0पं0 मधुबन	पांती में मकसूदन मल्ल के नये आवास से अवधेश मल्ल के खते होते हुए भेलउर सिवान तक इण्टरलॉकिंग	36.99	36.94	18.495	18.445

			एवं नाली निर्माण कार्य।				
			योग	**110.49**	**110.37**	**55.245**	**55.125**

कुल रू. 257.2623 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख छब्बीस हजार दो सौ तीस मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** -37 **लेखा शीर्षक** 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

<u>संख्या एवं दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **बस्ती, अयोध्या, हाथरस एवं मऊ ।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।